28·6·18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिंरा में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा पत्रावली सलंग्न है। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जानें के उपरांत भी हाजिर नहीं होनें पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थीगण की आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया,पत्रावली एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपर्ति नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जानें योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चारणान)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सख्या 90 / 2018

प्रार्थीगण

1. खीमाराम पुत्र तेजाराम
2. सकू देवी पत्नी तेजाराम
3. वींजाराम पुत्र मोडाराम
4. लिखमाराम पुत्र मोड़ाराम
5. जीवों देवी पत्नी मोड़ाराम
6. लूगोदेवी पत्नी कालूराम

जाति देवासी
निवासी राणेरी (कमठाई)
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नवलाराम पुत्र राणाराम
2. चवाराम पुत्र कलाराम
3. डुंगराराम पुत्र दुर्गाराम
4. झूठाराम पुत्र भारमलराम
5. महीगाराम पुत्र भुराराम
6. बींजाराम पुत्र भुराराम
7. लेहरो देवी पत्नी भुराराम
   जाति देवासी
   निवासी राणेरी (कमठाई)
   तहसील सिणधरी व जिला
   बाड़मेर मांगाराम पुत्र मूलाराम
8. जगमालराम पुत्र अणछाराम
9. भोमाराम पुत्र अणछाराम
10. आदुराम पुत्र अणछाराम
11. नोजीदेवी पत्नी अणछाराम
12. मंगलाराम पुत्र वाघाराम
    जाति जाट निवासी राणेरी ,कमठाई तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
13. तेजाराम पुत्र खीमाराम
14. चुतराराम पुत्र खीमाराम
15. धर्माराम पुत्र मागाराम
16. मलाराम पुत्र केराराम
    जाति मेघवाल

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थितः–1.श्री दलाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 28.6.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10,51 कुल रकबा 38–17 बीघा,खसरा संख्या 9,10/1,51/1 कुल रकबा 38–17 बीघा व खसरा संख्या 10/2,51/2 कुल रकबा 38–17 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्व ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10,51 कुल रकबा 38–17 बीघा,खसरा संख्या 9,10/1,51/1 कुल रकबा 38–17 बीघा व खसरा संख्या 10/2,51/2 कुल रकबा 38–17 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10,51 कुल रकबा 38–17 बीघा,खसरा संख्या 9,10/1,51/1 कुल रकबा 38–17 बीधा व खसरा संख्या 10/2,51/2 कुल रकबा 38–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्तं चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10,51 कुल रकबा 38–17 बीघा,खसरा संख्या 9,10/1,51/1 कुल रकबा 38–17 बीधा व खसरा संख्या 10/2,51/2 कुल रकबा 38–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10,51 कुल रकबा 38–17 बीघा,खसरा संख्या 9,10/1,51/1 कुल रकबा 38--17 बीधा व खसरा संख्या 10/2,51/2 कुल रकबा 38–17 बीधा भूमि का प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदनपत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 10,51 कुल रकबा 38–17 बीघा,खसरा संख्या 9,10/1,51/1 कुल रकबा 38–17 बीघा व खसरा संख्या 10/2,51/2 कुल रकबा 38–17 बीघा भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सिणधरी सीमाज्ञान की पूर्व मे कार्यवाही सम्पादित करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner